47

विलोपित विलोपित विलोपित विलोपित

८-१५१

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्रं. 2009/पुनरीक्षण - 1540-II/09 ~~2??/2006-2007/अपील~~

जवाहर पुत्र हीरालाल

मानीय न्यायालय के आदेशानुसार दि. 20-3-014 को Amendment किया जाता है।

Vsh. Vinod Shrivastav Adv. 20-3-2014

आवेदक के वारिसान निम्न प्रकार है :-

1. गंधर्व सिंह पुत्र स्व. श्री जवाहर
2. हरिओम पुत्र स्व. श्री जवाहर
3. चन्द्रभान सिंह पुत्र स्व. श्री जवाहर
4. प्रहलाद सिंह पुत्र स्व. श्री जवाहर
5. शंकर सिंह पुत्र स्व. श्री जवाहर
6. दीपक सिंह पुत्र स्व. श्री जवाहर
7. अर्जुन सिंह पुत्र स्व. श्री जवाहर
8. गोपाल सिंह पुत्र स्व. श्री जवाहर
9. गीताबाई पुत्री स्व. श्री जवाहर
10. सियाबाई पुत्री स्व. श्री जवाहर

निवासीगण – ग्राम सोपरा थाना बहादुरपुर तहसील मुंगावली जिला अशोक नगर म.प्र.

करन सिंह पुत्र मंगल
समस्त निवासी ग्राम–सोपरा
तहसील–मुंगावली जिला अशोकनगर

प्रस्तुतकर्ता Vsh विनोद श्रीवास्तव Adv दि. 11-11-2009

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 8–6–2009 जो कि प्रकरण क्रमांक ... 2006–07/अपील में अधीनस्थ अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित किया गया के विरुद्ध।

माननीय न्यायालय,

याचिकाकर्ता का निम्नलिखित निवेदन है:–

1. यहकि, ग्राम–सोपरा, तहसील–मुंगावली में तहसील न्यायालय मुंगावली के द्वारा एक प्रकरण क्रमांक 13/अ–19/2001–002 का ... भूमि बंटन की प्रकिया का पालन किये ग्राम में भूमि ... आदेश दिनांक 15–5–2002 पारित कर बंटन किया गया जिससे दुःखी होकर याचिकाकर्ता द्वारा अपनी अपील श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के सम्मुख प्रस्तुत की गई और निवेदन किया गया कि अपीलार्थी भी भूमि बंटन की पात्रता रखता है और अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई ... को आवंटित किये जाने वाली भूमि पर कब्जा ... बंटन की प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1540–दो/2009 जिला अशोकनगर

जवाहर विरूद्ध पूरन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
01–8–2019	आवेदक अभिभाषक श्री विनोद श्रीवासतव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अभिभाषक की ओर से कोई निर्देश न होने का अनुरोध किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण वर्ष 2009 से लंबित है। आवेदक की ओर अपने अभिभाषक को किसी प्रकार के कोई निर्देश न दिया जाना उसकी प्रकरण के संचालन में अरूचि को प्रकट करता है। फलस्वरूप यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (जे.के0 जैन) सदस्य	